



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

2 बैशाख, 1944 (श०)

संख्या - 192 राँची, शुक्रवार,

22 अप्रैल, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

आदेश

11 अप्रैल, 2022

आदेश सं०-5/आरोप-1-78/2019 का०-2407--सुश्री नीतू सिंह, झा०प्र०से० (पंचम बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अंचलाधिकारी, चुरचू, हजारीबाग के विरुद्ध राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1449/रा०स०, दिनांक 19.06.2019 के माध्यम से परिवादी श्री शमशेर आलम, सोशल एण्ड आर०टी०आई० एक्टिविस्ट, जारवा, हजारीबाग का परिवाद पत्र उपलब्ध कराया गया है, जिसमें सुश्री सिंह के विरुद्ध असंवैधानिक तरीके से मकान भत्ता लेने एवं सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया ।

उक्त परिवाद पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक-9631, दिनांक 03.12.2019 एवं अन्य स्मार पत्र द्वारा उपायुक्त, हजारीबाग से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। उक्त के आलोक में उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-149/स्था०, दिनांक 15.02.2022 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी चुरचू के लिए आवंटित आवास का उपयोग **CRPF** के द्वारा वर्ष 2009-10 से अब तक किया जा रहा है। साथ ही, परिवादी ने आवेदन दिनांक 23.07.2019 द्वारा अपने आरोप को वापस लिया गया है ।

अतः उपायुक्त, हजारीबाग से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सुश्री नीतू सिंह, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अंचलाधिकारी, चुरचू, हजारीबाग के विरुद्ध परिवादी श्री शमशेर आलम के द्वारा लगाये गये आरोपों को संचिकास्त किया जाता है ।

ओम प्रकाश साह,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
